भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2243

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2023 को दिया जाना है ।

11 श्रावण, 1945 (शक)

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना

2243. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): भारत सरकार ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके और डिजिटल विभाजन को पाटकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम तीन प्रमुख दृष्टि क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात्, प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा; मांग पर डिजिटल प्रशासन और सेवाएं; और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। ये पहल देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही हैं।

(ग): सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि डिजिटल तकनीक भारत में प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार लाए जिसमें डिजीलॉकर, आधार, न्यू-एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) योजना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आदि सहित विभिन्न डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ डिजिटल इंडिया स्टैक का निर्माण शामिल है जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई है, जिससे भारत अपने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले दुनिया के प्रमुख देशों में से एक बन गया है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

डिजिटल सेवाओं और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नागरिक-केंद्रित पहल की गई हैं। प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं:

1) **डिजिलॉकर**: डिजी लॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण, सत्यापन के लिए एक मंच है। अब तक, 18 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता डिजीलॉकर के साथ पंजीकृत हैं, और 593 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज़ इसके माध्यम से उपलब्ध हैं।

2) **न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग):** उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) उपयोगिता सेवाओं के साथ-साथ 324 केंद्र/राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों की 1,723 सेवाएं उमंग पर उपलब्ध हैं।

3) **आधार**: आधार संख्या एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है जो किसी व्यक्ति के जीवनचक्र में नहीं बदलती है और किसी भी समय, कहीं भी आधार पर डिजिटल रूप से प्रमाणित है। 30.06.2023 तक सजीव आधार संख्या धारकों की अनुमानित संख्या 130.20 करोड़ है। सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज़ बनाने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। बैंक खाते से लिंक होने पर, आधार किसी व्यक्ति का 'वित्तीय पता' बन जाता है जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है।

4) **ई-साइन**: ई-साइन सेवा नागरिकों द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार्य फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म/दस्तावेजों पर तुरंत हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करके विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है।

5) **एपीआई सेतु**: एपीआई सेतु प्लेटफॉर्म ओपन एपीआई नीति के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है और सरकार भर में निर्बाध सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए खुले और इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रदान की गई 3700+ एपीआई को 150 करोड़ लेनदेन के साथ मंच पर प्रकाशित किया गया है।

6) **मेरी पहचान**: मेरी पहचान/नेशनल सिंगल साइन-ऑन (एनएसएसओ) एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल्स का एक सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर सकता है।

7) **कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी):** कॉमन सर्विस सेंटर नागरिकों को सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर पर स्थापित भौतिक सुविधाएं हैं। कई सीएससी डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को डिजिटल लेनदेन के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं।

8) **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए पीएमजीदिशा की शुरुआत की है, जिसमें डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों के उपयोग पर प्रशिक्षण शामिल है।

9) **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यह एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो विभिन्न बैंकों के बीच त्वरित और निर्बाध फंड ट्रांसफर की सुविधा देती है और उपयोगकर्ताओं को यूपीआई सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से लेनदेन करने में सक्षम बनाती है।

*****